

**"जनता अपने अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क प्रबुद्ध और सचेत हो गई है और वह चाहती है कि उनके प्रतिनिधि अपने वायदे निभाएं" - लोक सभा अध्यक्ष**

**पणजी (गोवा), 12 फरवरी, 2015 :** लोक सभा अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति की चेयरपर्सन श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज गोवा में पांचवें भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन का उद्घाटन किया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सदन में वाद विवाद और चर्चा की महत्ता को उजागर करते हुए कहा कि सदस्यों की रचनात्मक भागीदारी से ही विभिन्न समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। सभा के सुचारू रूप से चलने पर ही सदस्यगण विधि निर्माण करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। परशुराम जिन्होंने अत्याचारी राजाओं का वध किया था किंतु अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, का दृष्टांत देते हुए श्रीमती महाजन ने त्याग करने और लोगों के कल्याणार्थ कार्य करने की भावना पर बल दिया।

महान कुटनीतिज्ञ चाणक्य को उद्धृत करते हुए श्रीमती महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सरकार को निर्धन व्यक्तियों और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए विधि के शासन के अनुरूप कार्य करना चाहिए उन्होंने टिप्पणी की कि लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क, प्रबुद्ध और सचेत हो गए हैं और वे चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि दिए गए आश्वासनों को पूरा करें। अतः उनके कल्याण से संबंधित विधायी प्रस्तावों को पारित किए जाने के कार्य को देखने वाले पीठासीन अधिकारियों को सूझबूझ से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि इसे केवल चैम्बर के भीतर हो रहे शोर शराबे के दृश्य पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय सदस्यों के रचनात्मक भाषणों को भी उजागर करना चाहिए। यह मीडिया का दायित्व है कि वह लोगों को बताएं कि सभा में उनके कल्याण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से आह्वान किया कि वह उत्तरदायी रूप से अपनी भूमिका निभाए और लोकतंत्र के सुदृढीकरण में अपना योगदान दे। उन्होंने घोषणा की कि लोक सभा सचिवालय का संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) मीडिया कर्मियों को संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए परिबोधन कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

अपने स्वागत भाषण में गोवा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्लेकर ने कहा कि अच्छे लोकतांत्रिक शासन, संधारणीय मानव विकास और मानवाधिकारों के प्रति

सम्मान विकासात्मक लक्ष्य का ताना-बाना हैं जिससे एक दूसरे को सुदृढता मिलती है । उन्होंने लोकतंत्र के सुदृढीकरण के लिए व्यष्टिपरक और संस्थागत दोनों के क्षमता निर्माण पर बल दिया।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने टिप्पणी की कि पीठासीन अधिकारियों को विशेष रूप से सभा में अनुशासन बनाए रखने और गुणवत्तापरक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आशा की कि सम्मेलन के निष्कर्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में मील के पत्थर का काम करेगी और इससे लोकतंत्र को सुदृढ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।

बाद में राज्य सभा के उप-सभापति प्रो. पी.जे. कुरियन; और लोक सभा के पूर्व महासचिव श्री सुभाष सी. कश्यप ने "विधायक और उनकी प्रातिनिधिक भूमिका: विधानमंडल के निर्बाध कार्यकरण की आवश्यकता" विषय पर आयोजित पहले पूर्णकालिक सत्र की चर्चा में अग्रणी भूमिका निभायी। राज्य विधानमंडलों के कई पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की गई।

पांचवां भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 फरवरी, 2015 को पणजी (गोवा) में किया जा रहा है।